न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 44/2010 आवंटन नियम 14(4)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

भरता पुत्र रामधन (फोत)

1. रूकमणी उर्फ सांझा देवी पत्नि भरता
2. गिर्राज पुत्र भरता
3. दयाराम पुत्र भरता
4. सन्तरा पुत्री भरता
5. सायर पुत्री भरता

समस्त जाति गुर्जर निवासी काबलेश्वर तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक: 22.6.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम काबलेश्वर द्वारा दिनांक 13.06.2000 को ग्राम काबलेश्वर तहसील दौसा के आ0ख0नं0 2रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी भरता पुत्र रामधन गुर्जर को कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल आवंटन आदेश प्राप्त किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम काबलेश्वर द्वारा अप्रार्थी भरता पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी काबलेश्वर को दिनांक 13.06.2000 को ग्राम काबलेश्वर तहसील दौसा के आ0ख0नं0 2 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन किया गया था, किंतु अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1/1 साबिक नंबर से बना है। सीलिंग सरप्लस भूमि है जो पूर्व में दिनांक 28.6.1976 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी है। सीलिंग प्रीमियम बकाया होने से अमल नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य होने अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:42 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

प्रा0 पत्र सं0 44/2010 आवंटन नियम 14(4)

अप्रार्थीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप काबलेश्वर द्वारा अप्रार्थी भरता पुत्र रामधन गुर्जर को दिनांक 13.6.2000 को ग्राम काबलेश्वर स्थित भूमि खसरा नंबर 2 में से 0.50है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि संवत 2056 से 2059 व संवत 2060 से 2061 में से संवत 2058 में फसल खरीफ में ग्वार की फसल को छोडकर शेष संवतों में भूमि पडत होना अकित है। प्रार्थना पत्र 14(4) के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भूमि को उपयोग में नहीं लिया जाना अंकन है। आवंटी/गैर खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। साथ ही उक्त खसरा नंबर 1/1 साबिक नंबर से बना है जो कि सीलिंग सरप्लस भूमि है जो पूर्व में दिनांक 28.6.1976 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम काबलेश्वर द्वारा दिनांक 13.06.2000 को अप्रार्थी भरता पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी काबलेश्वर को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम काबलेश्वर की बैठक दिनांक 13.6.2000 द्वारा ग्राम काबलेश्वर में अप्रार्थी भरता पुत्र रामधन गुर्जर (आवंटी) के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। निर्णय की एक छाया प्रति जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:42 IST
Reason: SelfAttested